बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 16.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 11,580 लीटर अवैध शराब एवं रोहतास जिला के डालमियानगर थानान्तर्गत 5 किलोग्राम गाँजा जप्त किया गया जिसमें 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है।

   मधुबनी जिले के लदनिया थानान्तर्गत 1,06,505/– तथा हरलाखी थानान्तर्गत 1,00,000/– नेपाली मुद्रा जप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त नवादा जिला के नगर थानान्तर्गत ₹1,83,000/– तथा नारदीगंज थानान्तर्गत 2 किलोग्राम चाँदी, रोहतास जिला के डालमियानगर थानान्तर्गत ₹78,000/– एवं पटना जिले में ₹29,50,000/– जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	122
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	35
Violation of Loudspeaker Act	5
Illegal Meeting/Speech etc.	2
Others	5

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	4
No. of cartridges seized	30
No. of Bombs seized	4
No. of Licensed Arms verified	70
No. of Licensed Arms deposited	905
No. of Licensed Arms Cancelled	674
No. of non-bailable warrants executed	734
Fine collected in vehicle checking	Rs. 25,05,693

4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर 131–कल्याणपुर (अ0जा0), 132–वारिसनगर, 133–समस्तीपुर, 134–उजियारपुर, 135–मोरवा, 136–सरायरंजन, 137–मोहिउद्दीननगर, 138–विभूतिपुर, 139–रोसड़ा (अ0जा0), 140–हसनपुर, 141–चेरिया बरियारपुर, 142–बछवाड़ा, 143–तेघड़ा, 144–मटिहानी, 145–साहेबपुर कमाल, 146–बेगूसराय, 147–बखरी (अ0जा0), 148–अलौली (अ0जा0), 149–खगड़िया, 150–बेलदौर, 151–परबत्ता, 152–बिहपुर, 153–गोपालपुर, 154–पीरपैंती (अ0जा0), 155–कहलगांव, 156–भागलपुर, 157–सुलतानगंज, 158–नाथनगर, 159–अमरपुर, 160–धोरैया (अ0जा0), 161–बांका, 162–कटोरिया (अ0ज0जा0), 163–बेलहर, 164–तारापुर, 165–मुंगेर, 166–जमालपुर, 167–सूर्यगढ़ा, 168–लखीसराय, 169–शेखपुरा, 170–बरबीघा, 235–रजौली (अ0जा0), 236–हिसुआ, 237–नवादा, 238–गोविन्दपुर, 239–वारसलीगंज, 240–सिकन्दरा (अ0जा0), 241–जमुई, 242–झाझा एवं 243–चकाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचना आज दिनांक 16.09. 2015 को जारी कर दी गयी है। उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु नाम–निर्देशन करने की अंतिम तारीख 23 सितम्बर, 2015, नाम–निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 24 सितम्बर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 26 सितम्बर, 2015 एवं मतदान की तारीख 12 अक्टूबर, 2015 निर्धारित है।

5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 से संबंधित निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी एजेंसी यथा पुलिस, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, सी०आई०एस०एफ०, आयकर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, रेलवे, बैंक, एस०एस०बी० के साथ बैठक आयोजित की गयी जिसमें अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अरविन्द कुमार चौधरी एवं श्री आर0 लक्ष्मणन, सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग श्री राहुल सिंह, पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार–सह–नोडल पदाधिकारी (निर्वाचन व्यय), श्री सुनील कुमार, प्रधान निदेशक आयकर (अन्वेषण), जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, पुलिस महानिरीक्षक, सी०आई०एस०एफ०, पुलिस महानिरीक्षक रेल, सहित पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, निदेशक एयरपोर्ट, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी, के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन विभाग के अन्य पदाधिकारी आदि भी उपस्थित हुए।

जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना पर वी०वी०आई०पी० के आगमन, सुरक्षा जॉच, उनके सामानों की जॉच, प्राइवेट/निजी विमानों की जॉच, वी०वी०आई०पी० को लेने/छोड़ने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, परिसर की निगरानी आदि बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया। आयकर विभाग, द्वारा ए०आई०यू० की टीम गठित कर दी गई है जो एयरपोर्ट पर ही कार्यरत रहेगी। एयरपोर्ट के लैंन्डिंग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा की जायेगी। वी०वी०आई०पी० को लेने/छोड़ने जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पाँच निर्धारित की गयी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह निदेश दिया गया है कि उनके स्तर से प्राइवेट/निजी विमानों के आगमन

से कम से कम आधा घंटा पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना को सूचना दी जाये। उनके स्तर से विमान के लैडिंग/उड़ने की भी सूचना तीन दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना को दी जायेगी। निर्वाचन के मद्देनजर बिहार के पटना तथा बोधगया के साथ–साथ समीपवर्ती राज्य के प्रमुख एयरपोर्ट यथा वाराणसी, कोलकाता, राँची एवं बागडोगरा की भी निगरानी करने हेतु सी०आई०एस०एफ० को सूचित किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के दौरान राज्य में आने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों के ए०सी० II/ए०सी० I के सभी कोचों, पैंट्री कार, लगेज वान एवं राज्य के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों के क्लॉक रूम, वेटिंग रूम आदि का औचक निरीक्षण करने हेतु जिलावार जाँच दल गठित करने का निदेश दिया गया।

उत्पाद एवं मद्य निषेध द्वारा सभी जिला में आसवनीयों, ब्रेवरीज तथा सभी देशी शराब बोटलिंग प्लांट में C.C.T.V कैमरा लगाया जा चुका है। मात्र BSBCL के मद्यभंडारों मे C.C.T.V कैमरा लगाया जा रहा है। पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, एवं उत्तर प्रदेश के आयुक्त, उत्पाद से दूरभाष पर बात कर बिहार विधान सभा चुनाव के मद्देनजर शराब के चौर्य व्यापार पर शक्ति से रोक लगाने का निदेश दिया गया है। साथ ही यह भी निदेश दिया गया है कि पड़ोसी राज्यों के सीमा पर अवस्थित सभी नियमित चेक पोस्टों के अतिरिक्त पुलिस प्रशासन के सहयोग से थानों पर भी इसकी जाँच कराई जाये।

6. निर्वाचन विभाग के सभागार में आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर एवं मधुबनी जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए प्रशिक्षण--सह--कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में नामांकन तथा स्क्रूटनी की प्रक्रिया, नामांकन के लिए योग्यता, अयोग्य किये जाने के बिन्दु, नाम वापसी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना तथा अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किये जाने की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निदेशों की जानकारी प्रदान की गयी। सभी विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये वीडियो फिल्म दिखाया गया तथा उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया गया।

****